चाहते है न्यायाहित मे बहस का अन्तिम मौका दिया जाता है दि० 3.2.21 को पेश हो।

3.2.21 उभय पक्ष के अभि० उप०। बहस को अंतिम मौका चाहते है न्यायाहित मे एक और मौका दिया जाकर दि० 10.2.21 को पेश हो।

10.2.21 उभय पक्ष के अभि० उप०। बहस को मौका चाहते है न्यायाहित मे अंतिम मौका दिया जाकर दि० २५.२.२१ को पेश हो।

२५.२.२०२१ पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अभि० उप०। पूर्व मे सुनी बहस अधूरी रही। पुनः बहस सुनी गई। वाद वादीगण डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकॉर्ड हो, निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वारा:— श्री मुकुट सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
130	26.10.2015	24.02.2021

उनवान

9. मनोहरलाल
10. रामअवतार
11. निरंजन
12. सुभाष पुत्रान श्री रामचन्दर जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती)
13. मु0 अगूरी बैवा बाबूलाल
14. नरेश कुमार
15. सतीशकुमार पुत्रान श्री बाबूलाल जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती)
16. रामकलां बैवा लालचन्द जाति जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती) निवासी इसैपुर (मीरका बसई) तहसील किशनगढ—बास जिला अलवर राज0

:—वादीगण

बनाम

10. मामचन्द पुत्र श्री बिहारीलाल जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती) निवासी मीरका बसई तहसील किशनगढबास, अलवर
11. सरोज देवी पुत्री बाबूलाल पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती) निवासी हाल रामनगर, भिन्डूसी तहसील तिजारा।
12. सुनीता पुत्री बाबूलाल पत्नि श्री रामकिशन जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती)
13. किरण पुत्री बाबूलाल पत्नि श्री सत्यबीर जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती) निवासी हाल राठीवास तहसील व जिला गुडगांवा हरियाणा।
14. नवनीत कुमार पुत्र छीतरमल जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती) निवासी इसैपुर।
15. लक्ष्मीदेवी पुत्री छीतरमल पत्नि सोमदत्त जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती) निवासी हाल गुडगांवा हरियाणा।
16. सरोज उर्फ बबली पुत्री छीतरमल पत्नि श्री श्यामलाल जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती) निवासी माजरीकलां तहसील मुण्डावर।
17. गीतादेवी पुत्री छीतरमल पत्नि श्री नन्दकिशोर जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती) निवासी।
18. श्रीमान तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील किशनगढ—बास जिला अलवर, राज0।

:—प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:—

3. श्री सूरजभान भडाणा वकील वादीगण की ओर से।
4. श्री रामफल यादव वकील प्रतिवादीगण की ओर से।

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ—बास (अलवर)

निर्णय

की पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

वादीगण ने वाद पेश किया कि राजस्व ग्राम इसैपुर तहसील किशनगढ—बास में स्थित आराजी खसरा नम्बर 21/0—09, 22/0—09, 23/0—09, 25/1—06, 26/0—14, 0—13.64/1—08 कुल किता 07 कुल रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा वादीगण वो प्रतिवादीगण 1 ायत 8 की शामलाती कब्जाकाश्त की आराजी है जिसमे 1/4 भाग वादीगण संख्या 1 लगायत 4 तथा 1/4 भाग में संभाग के मुरली उर्फ नत्थू व हरिया पुत्रान घीसा का रहा है तथा 1/4 भाग दीगण संख्या 5 लगायत 7 के पिता वो पति मृतक बाबूलाल पुत्र सूरजभान का तथा शेष 1/4 भाग व छीतरमल पुत्र मुखराम उर्फ पोहकर की खातेदारी का रहा है। जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 है।

पक्षकारान एक ही परिवार खानदान के सदस्य है जिन्होने आराजी मुतनाजा को संयुक्त रूप से खरीद किया था। पूर्व में जयनारायण पुत्र घीसा जा0 ब्रा0 निवासी इसैपुर की खातेदारी कब्जाकाश्त की आराजी थी। जिसने खसरा नंबर 25/1—06, 27/0—13 कुल किता 2 रकबा 1—19 बीघा को जर्ये रजि0 बयनाम कमांक 1042 दिनांक 29.07.1986 को केतागण मुरली उर्फ नत्थू, हरिया पि0 घीसा एवं मनोहर, रामअवतार, निरंजन, सुभाष पि0 रामचन्द्र, बाबूलाल पुत्र सूरज, छीतर पुत्र मुखराम उर्फ पोहकर जाति जा0 ब्रा0 निवासी ग्राम इसैपुर तहसील किशनगढ—बास को मुबलिग—19000/—रूपये अक्षरे उन्नीस हजार रूपये में समान भाग में बेचान कर दिया था। तथा आराजी खसरा नं0 26 रकबा 14 बिस्वा, 21 रकबा 09 बिस्वा, 22 रकबा 09 बिस्वा, 23 रकबा 09 बिस्वा, 64 रकबा1-08 बिस्बा कुल किता 05 कुल रकबा 3—09 बीघा को जर्ये रजि0 बयनामा कमांक 1066 दिनांक 30.07.1986 को केतागण मुरली उर्फ नत्थू, हरिया पि0 घीसा एवं मनोहर, रामअवतार, निरंजन, सुभाष पि0 रामचन्द्र, बाबूलाल पुत्र सूरज, छीतर पुत्र मुखराम उर्फ पोहकर जाति जा0 ब्रा0 निवासी ग्राम इसैपुर(मीरका) तहसील कि0—बास को समान भाग में बेचान कर कब्जा आराजी पर वास्तविक रूप से सौप दिया था और केतागण के नाम इतकाल खातेदारी सं0—172 दिनांक 04.06. 1987 व इं0खा0 सं0—232 दिनांक 27.04.1989 विधिवत दर्ज वो स्वीकार होकर चौसाला जमाबन्दी 2046 विधिवत कायम की गई। नकल इंतकाल सं0—172 व 232 संलग्न वाद पत्र है।

केतागण बाबूलाल पुत्र सूरज फौत हो चुका है। जिसके कि वारिसान वादीगण 5 लगायत 7 व प्रतीवादी नं0 2, 3, 4 है। दीगर कोई वारिसान नहीं है। इसी कदर केता छीतर पुत्र मुखराम उर्फ पोहकर फौत हो चुका है। जिसके कि वारिसान प्रतिवादी सं0 5 लगायत 8 है। दीगर कोई वारिसान नहीं है। केता छीतर मल ने अपने जीवन काल में ही आराजी उपरोक्त में से 09 बिस्वा रकबा वादीया राकलां बैवा लालचन्द को बेचान कर कब्जा आराजी दे दिया था। जिस पर वादीया सं0 8 रामकलां काबिज काश्त है एवं वादीया के नाम का अंकल 1/12 भाग पर दर्ज हो रहा है। मृतक छीतरकल को शेष 2/12 भाग पर उसके वारिसान 5 लगायत 8 काबिज है। इसी कदर केता मुरली उर्फ नत्थू भी फौत हो चुका है। जिसने अपने जीवन काल में अपने 1/8 भाग को बेचान मोहरा बैवा सूरज को कर दिया था। मु0 मोहरा भी फौत हो चकी है। जिसका केवल एकमात्र वारिस बाबूलाल था, जो भी फौत हो चुका है। जिसके वारिसान वादीगण 5 लगायत 7 व प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 है, जिनके नाम विरासत इंतकाल अभी दर्ज वो स्वीकार नहीं हुआ है। इस प्रकार मृतक बाबूलाल व मृतक मोहरा खातेदारान का आराजी में 3/8 हिस्सा विधित रूप से कायम है। इस कदर खातेदार हरिया पुत्र घीसा ने अपना 1/8 भाग का बेचान प्रति0 सं0 नं0 1 मामचंद को करते हुए इंतकाल खातेदारी सं0 465 दिनांक 19.07.2008 को गलत प्रकार से दर्ज व मंजूर कर दिया। एवं अपने हिस्से आराजी 1/8 से अधिक रकबे का बयनामा प्रति0 नं0 1 ने तैयार करा लिया, जबकि प्रति0 नं0 1 मामचंद का मुताबिक मौका व कब्जा व जमाबन्दी संवत 2005 के अनुसार 1/8 भाग पर ही कब्जा है। जिस पर प्रति0 नं0 1 ने अपने रिहायसी मकानात बनाये हुए है, किन्तु इंतकाल सं0 465 के आधार पर जमाबन्दीयात गलत प्रकार से कायम की हुई है। जो काबिल दुरूस्ती है। वादीगण 1 लगायत 4 आराजी मुतनाजा के 1/4 भाग के बरौज खरीद से बहैसियत खरीददारान खातेदारान काबिज वो दखील चले आ रहे है और आज भी इसी कदर कब्जा है इस प्रकार प्रति0 नं0 1 मामचंद के अलावा सभी पक्षकारान मौका कब्जा अनुसार अपने—अपने हिस्से की आराजी पर काश्त की हुई है एवं आराजी को बाहमी रूप से बांटा हुआ है प्रति0 नं0 1 मामचंद ने अपने 1/8 भाग संपूर्ण पर रिहायसी मकानात बनाए हुए है जिसकी दीगर किसी खसरा नम्बर पर ना तो कब्जा है और ना ही हिस्सा शेष है किन्तु

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ—बास (अलवर)

जमाबन्दीयात के आधार पर व गलत इंतकाल के आधार पर प्रति० सं० 1 के नाम का ... में गलत अंकन दर्ज हो रहा है जो काबिल दुरूस्ती है। एवं वादीगण के हकूको के विरूद्ध ... वाईड है। ऐसी सूरत में वादीगण मुताबिक इंतकाल खातेदारी सं० 172, 232 एवं बयनामा ... 29.07.1986 व 30.07.1986 के आधार पर गलत अंकन को हजफ कराकर दुरूस्ती कराने के ... है अतः दावा दुरूस्ती इन्द्राज दायर करना लाजिम आया है।

विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य बाई एंड बारगेन कोई बंटवारा रिकॉर्ड नहीं ... है इजमाल में चली आ रही है जबकि पक्षकारान ने विवादित आराजी को काफी समय से बाहमी ... से तकसीम कर मौके पर काबिज होकर काश्त करते व उपभोग करते आ रहे है पक्षकारान ने ... कब्जा अनुसार कुल विवादित आराजी को निम्न प्रकार तकसीम किया हुआ है:-

1. आराजी ख० नं० 21/0.11, 22/0.11 पर वादीगण मनोहर लाल, रामअवतार, निरंजन, सुभाष पुत्रान रामचन्द्र काबिज है। जो तन्हा वादीगण के कब्जाकाश्त में है।
2. आराजी खसरा नम्बर 25/0.33, 27/0.16 पर वादीगण अंगूरी, नरेशकुमार, सतीश कुमार वो प्रतिवादीगण 2, 3,4 सरोज सुनिता, किरण पुत्रियान बाबूलाल काबिज काश्त है जो तन्हा उनके कब्जा काश्त खातेदारी में है।
3. आराजी खसरा नम्बर 23/0.11 वादीया रामकला बेवा लालचंद के कब्जा काश्त खातेदारी में आया हुआ है जिस पर वादीया तन्हा काबिज है।
4. आराजी खसरा नम्बर 64/0.35 शालिम पर छीतरमल के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 नवनीत कुमार, लक्ष्मी, सरोज, गीतादेवी पत्रियान छीतरमल तन्हा काबिज काश्त है। तथा खसरा नम्बर 26/0.18 सालिम पर प्रतिवादी नं० 1 मामचंद काबिज है मकानात बनाये हुए है इसी कदर डिक्री बंटवारा पारित की जावे।

वादीगण ने एक वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में दि० 28.02.2011 को पेश किया था जिसमे कानूनी त्रूटी के कारण वाद को विड्रा कर लिया था, पुनः दावा पेश किया गया है।

प्रतीवादी नं० 1 मामचंद गैरवास्ता गैरकाबिज आराजी है जिसका आराजी मुतनाजा में मात्र 1/8 भाग ही है और अपने 1/8 भाग सालिम पर प्रतिवादी नं० 1 ने रिहायशी मकानात बनाये हुए है दीगर नम्बरान से प्रतिवादी नं० 1 का कोई संबंध वो सरोकार नहीं है। किंतु गलत अंकल की आड में प्रतिवादी नम्बर 1 आए दिन कब्जाकाश्त वादीगण में मजाहमत पैदा करता है ऐसी सूरत में प्रतिवादी नंबर 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद वादी गण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः--

1. डिक्री इश्तकरारहक दुरूस्ती इंद्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादीगण व प्रतिवादीगण आराजी खसरा नंबर 21/0–09, 22/0–09, 23/0–09, 25/1–06, 26/0–14, 27/0–13, 64/1–08 कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम ईसेपुर तहसील किशनगढबास पर मुताबिक बयनामा कमांक 1042, 1066 दिनांक 29.07.1986 व 30.07.1986 इंतकाल संख्या 172, 232 दिनांकित 04.06.1987, 27.04.1989 के आधार पर काबिज काश्त खरीददारान, खातेदारान, काश्तकारान है। जो आराजी पक्षकारान की खरीदशुदा भूमि है मौजूदा इंद्राज जमाबंदी में जो प्रतिवादी सं० 1 के नाम का अंकन दर्ज किया हुआ है वो खिलाफ मौका खिलाफ कानून दर्ज हो रहा है। हजफ होने योग्य है जिसे हजफ किया जाकर कब्जा के अनुसार पृथक–पृथक खातेदारान काश्तकारान घोषित किया जाकर खातेदारी दर्ज कराई जावें।
2. मौजूदा जमाबंदीयात में जो आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी नं० 1 के नाम का खातेदारी अंकन दर्ज किया हुआ है खिलाफ कानून खिलाफ मौका कब्जा है, हकूक वादीगण के विरूद्ध नल एंड वाईड है काबिल दूरूस्ती है जिस इंद्राज को हजफ(कलमजन) कराया जाकर वादीगण को मौका कब्जा अनुसार खातेदार दर्ज कराया जावे। एवं डिक्री तकासमा पारित की जावे।
3. प्रतिवादी नं० 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वो दौराने वाद विवादित भूमि को गलत अंकन की आड में रहनबय वो मुंतकील नही करे ना हकूक वादीगण समाप्त करे। ना वादीगण को कृषि कार्य में बाधा पैदा करे। रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।
4. खर्चा मुकदमा का वादीगण को दिलाया जावे। दीगर न्यायोचित दादरसी जो अदालत श्रीमान उचित समझे अता फरमाया जावे।

sd/

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

द्वारा प्रस्तुत मौके पर दर्ज [illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया, बाद तामिल प्रतिवादीगण नं0 2 लगायत 8 की ओर से मुख्तारनामा जवाब दावा पेश किया गया। तथा प्रतिवादी नं0 1 ने जवाब पेश किया कि वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। आराजी मुतनाजा की बाबत संवत् 2070 जमाबंदी में इंद्राज हो रखा है वादीगण ने जानबूझकर जमाबंदी संवत् 2070 के इंद्राज का हवाला नहीं दिया है। हरिया पुत्र धीसा का राजस्व रिकॉर्ड में मौका से कब्जा काश्त व पूर्व के रिकॉर्ड आम गाईड के आधार पर सही अमल रहा है व मौके पर कब्जा काश्त रहा है। वाद में वर्णित आराजी बाबत् इसी न्यायालय में एक वाद मनोहर लाल बनाम मामचंद व अन्य के नाम से विचाराधीन रहा जो मुकदमा नं0 174/11 न्यायालय श्रीमान द्वारा निर्णित किया गया है वो वाद खारिज हो चुका है। इसलिए वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 के तहत काबिल खारिज है खारिज किया जावे। प्रतिवादी सं0 1 ने 1/4 दर 7/8 भाग खरीद किया है प्रतिवादी सद्भावी केता है मौके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण 1 के नाम का अमल सही हो रहा है।

विवादित आराजी मे हरिया पुत्र धीसा का 1/4 भाग दर 7/8 भाग दर्ज था जिस हिस्से पर वो अलग से मौके पर काबिज रहा और हरिया ने अपनी खातेदारी कब्जा काश्त के हिस्से को मिन प्रतिवादी को बाजाप्ता प्रतिफल प्राप्त कर जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी नं0 1 को विकय किया है वक्त खरीद से प्रतिवादी नं0 1 काबिज काश्त है बयनामा के अनुसार प्रतिवादी नं0 1 के नाम इंतकाल दर्ज होकर अमल जमाबंदी में हो रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती, प्रतिवादी नं0 1 सहखातेदार काश्तकार है इसलिए भी स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित नही है। अत वादवादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब दावा प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की जाकर उभय पक्ष की साक्ष्य ली गई। वादीगण ने साक्ष्य में रामअवतार पुत्र रामचंद्र पी.डब्लू. 1, रोहताश पुत्र हरिया पी.डब्लू. 2, सतीश कुमार पुत्र बाबूलाल पी.डब्लू. 3 के बयान कराये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल बयनामा प्रदर्श 1, नकल इंतका प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी संवत् 2062 प्रदर्श 3, नकल बयनामा 30.07.1986 प्रदर्श 4, नकल बयनामा दिनांक 26.07.1986 प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी संवत 2046 प्रदर्श 6, नकल जमाबंदी संवत 2054 प्रदर्श 7, नकल जमाबंदी संवत 2070–73 प्रदर्श 8 पेश किये है प्रतिवादी नं0 1 की ओर से साक्ष्य में मामचंद पुत्र बिहारी लाल डी.डब्लू.1 रामप्रसाद पुत्र बिहारी, डी.डब्लू.2 महीपाल पुत्र महेन्द्र, डी.डब्लू.3 हरीचंद पुत्र हरीकिशन डी. डब्लू. 4 के बयान कराये है। प्रतीवादी नं0 1 की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस फोटोप्रति रिपार्ट पटवारी हल्का दिनांक 03.02.2011 पेश की। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:–

तनकी नं0 1:– आया आ0ख0न0 21/0–09, 22/0–09, 23/0–09, 25/1–06, 26/0–14, 27/0–13, 64/1–08 किता 7 रकबा 5–08 बीघा वाके इसैपुर तहसील किशनगढबास के मुताबिक बयनामा कमांक 1042, 1060 दिनांक 30.07.1986 एवं इंतकाल खातेदारी नं0 172, 232 दिनांकित 04.06.1987 एवं 27.04.1989 के आधार पर वादी गण एवं प्रतीवादीगण काबिज दखील है हाल जमाबंदी मे जो अंकन प्रतीवादी नं0 1 मामचंद के नाम का गलत अंकित हो रहा है हजफ किए जाने योग्य है नामा0 खातेदारी संख्या 465 दिनांक 19.07.2008 वो बयनामा बहक मामचंद हिस्सा आराजी से अधिक रकबा का दर्ज हुआ है जो काबिल दुरूस्ती है जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल बयनामा दिनांक 30.07.1986 के अवलोकन से साबित है कि आराजी खसरा नंबर 26/0–14, 21/0–9, 22/0–9,23/0–9, 64/1–8 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 व उनके पूर्वजों की खरीदशुदा खातेदारी की आराजी है। नकल बयनामा दिनांक 20.07.1986 के अवलोकन से साबित है कि आ0ख0न0 25/1–6, 27/0–13 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 व उनके पूर्वजों की खरीदशुदा खातेदारी की आराजी है। नकल जमाबंदी संवत् 2046 प्रदर्श 6 के अवलोकन से साबित है कि आराजी विवादित संवत्

उप जिला कलक्टर
किशनगढ–वास (अलवर)

2046 मे मुरली उर्फ नत्थू, हरिया पुत्रान धीसा, मनोहर लाल, राम अवतार, निरंजन, सुभाष पुत्रान रामचंद्र, बाबूलाल पुत्र सूरज, छीतर मल पुत्र मुरदराम उर्फ पोहकर जा0 ब्रा0 की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार यह आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खरीदशुदा खातेदारी की होना साबित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2046–49 प्रदर्श 6 व नकल जमाबंदी संवत 2054–57 प्रदर्श 7 के अवलोकन से साबित है कि विवादित आराजी मे हरिया पुत्र धीसा का 1/8 हिस्सा था। परंतु जमाबंदी सन 2005 प्रदर्श 3 मे गत जमाबंदी के अनुसार हिस्सा दर्ज ना कर मौका सही सुरजमान 1/8, हरिया पुत्र धीसा, मनोहर लाल, रामअवतार, निरंजन, सुभाष पिता रामचंद्र, बाबूलाल पुत्र सूरज, छीतर मल पुत्र मुरदराम उर्फ पोहकर 7/8 जा0 ब्रा0 सा0 देह खातेदार दर्ज किया गया है। इस जमाबंदी को कायम करते हुए हिस्से गलत दर्ज किए गए है। फोटोप्रति रिपोर्ट पटवारी दि0 03.02.2011 मे भी यह तथ्य स्पष्ट अंकित किया गया है कि जमाबंदी सन 2005 बनाते समय एवं इंतकाल नं0 344 का अमल आनलाईन में करते समय जमाबंदी में हिस्सो का अंकन गलत कर दिया गया ततपश्चात इंतकाल नं0 465 एवं 487 गलत हिस्से का ही बेचान किया गया प्रतीत होता है। जबकि प्रत्येक का 1/4 हिस्सा था। जमाबंदी सन 2005 में हरिया पुत्र धीसा 1/8 के स्थान पर 1/4 दर 7/8 कर दिया गया जो कि गलत है। हाल रिकॉर्ड में इंतकाल नं0 465 से आया इंद्राज मामचंद्र पुत्र बिहारी का हिस्सा 1/4 दर 7/8 का अमल भी गलत हो गया है। अतः इंतकाल नं0 465, 487 एवं पुरानी जमाबंदी अनुसार विचार करते हुए दुरूस्ती किया जाना उचित होगा। नकल बयनामा प्रदर्श 1 दिनांक 16.06.2008 के अवलोकन से जाहिर है कि हरिया पुत्र धीसा द्वारा अपने हिस्से से अधिक का बेचान किया गया है। हरिया द्वारा 1/4 दर 7/8 का बेचान किया गया है। जबकि पूर्व जमाबंदी अनुसार हरिया का 1/8 हिस्सा ही था। यह बयनामा जमाबंदी मे हिस्सा गलत अंकन होने पर कराया गया है जिस्से बाखूबी साबित होता है कि हरिया ने मामचंद पुत्र बिहारी लाल के पक्ष में अपने हिस्से अधिक भूमि का बेचान किया है। उक्त विवेचनानुसार वादी इस तनकी को सिद्ध करने में सफल रहा है इसलिए आराजी विवादित का हरिया द्वारा अपने हिस्से से अधिक आराजी का किया गया बेचान काबिल दुरूस्ती के है। नामा0 सं0 465 बहक मामचंद 1/8 हिस्से से अधिक आराजी का प्रभाव शून्य है। उपरोक्त विवेचानानुसार यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 तय की जाती है।

तनकी नं0 2:– आया वाद वादीगण में वर्णित आराजी ख0 नं0 21/0–9, 22/0–9 सालिम पर वादीगण सं0 1 लगायत 4 काबिज है व ख0 नं0 25/1–6, 27/0–13 सालिम पर वादीगण 5, 6, 7 व तर0 प्रति0 2, 3, 4 एवं ख0 नं0 23/0–9 सालिम पर वादी सं0 8 एवं ख0 नं0 64 /1–08 पर मृतक छीतरमल के वारिसान एवं खं0 नं0 26/0–14 पर प्रतिवादी सं0 1 तन्हा काबिज है मकान वो बाउंडरी वाल बनाई हुइ है मुताबिक बाहमी बंटवारा पक्षकारान अर्सेदराज से बुजुर्गो के समय से काबिज काश्त मौके पर है। मुताबिक बाहमी बंटवारा खातेदार घोषित किया जावे। इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वार प्रस्तुत दस्तावेजात जिनका तनकी नं0 1 में विवेचन किया गया है तथा इकबाल जवाब दावा प्रतिवादीगण नं0 2 लगायत 8 व वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहान से साबित है कि पक्षकारान मुताबिक बाहमी बंटवारा के मौके पर काबिज काश्त है। इकबाल जवाब दावे में प्रतिवादीगण 2 लगायत 8 ने तकासमा किया जाकर मौके पर पृथक–पृथक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है। इसलिए आराजी को तकसीम किये जाने में कोई विधिक व्यवधान नहीं है। आराजी का उक्त अनुसार ही तकासमा किया जाना उचित प्रतीत होता है। यह तनकी भी बहक वादी व प्रतीवादी 2 लगायत 8 विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 तय की जाती है।

तनकी नं0 3:– आया प्रतीवादी संख्या 1 ने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बयनामा कराकर नामा0 खातेदारी दर्ज कराया है। इस तनकी का भार प्रतिवादी नं0 1 पर था। प्रतिवादी नं0 1 ने इस तनकी को साबित करने के लिए कोई साबिक जमाबंदी (हरिया के हिस्से बाबत) पेश नहीं किया गया है। जैसा कि पूर्व में विवेचन किया जा चुका है कि हरिया द्वारा सन 2005 की जमाबंदी बनाते समय हुई गलती पर अपने हिस्से से अधिक का बेचान किया है जो बयनामा व नामा0 हिस्से से अधिक आराजी के बेचान की जदतक प्रभाव शून्य है इसलिए यह तनकी विरूद्ध प्रतीवादी नं0 1 तय की जाती है।

6/

उप जिला कलक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

अतिरिक्त तनकी:– आया विवादित आराजी की बाबत पूर्व में विचाराधीन वाद संख्या 174/11 उनवान मनोहर बनाम मामचंद खारिज होने के कारण पुनः वाद कानूनन चलने योग्य नही है आदेशार्थ नियम 11 जा0 दी0 के तहत काबिल खारिज है। इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादी नं0 1 द्वारा कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया है जबकि वादी द्वारा गत वाद की आदेशिका दिनांक 19.10.2015 की नकल पेश की है जिसमे वादीगण ने इस वाद को विड्रा कर नया वाद पेश करने की स्वीकृति चाहते हुए वाद विड्रा कराया था न्यायालय हाजा द्वारा नया वाद दायर करने की स्वीकृति दी गई थी, जिससे साबित है कि मौजूदा वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 से प्रभावित नही है। इसलिए यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार किए गए विवेचनानुसार वाद वादीगण बहक वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 8 विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 डिक्री किया जाना कानूनसंगत वो न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

वाद वादी गण बहक वादीगण व प्रतिवादीगण 2 लगायत 8 विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि आराजी ख0 नं0 21/0.11, 22/0.11 का वादीगण मनोहर लाल, रामअवतार, निरंजन, सुभाष पुत्रान रामचन्द्र काबिज को तन्हा काबिज खातेदार काश्तकार घाषित किया जाता है।

आराजी खसरा नम्बर 25/0.33, 27/0.16 का वादीगण अंगूरी, नरेशकुमार, सतीश कुमार वो प्रातिवादीगण 2, 3,4 सरोज सुनिता, किरण पुत्रियान बाबूलाल काबिज काश्त है को तन्हा काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
आराजी खसरा नम्बर 23/0.11 वादीया रामकलां बैवा लालचंद को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

आराजी खसरा नम्बर 64/0.35 शालिम पर छीतरमल के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 नवनीत कुमार, लक्ष्मी, सरोज, गीतादेवी पत्रियान छीतरमल तन्हा काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा खसरा नम्बर 26/0.18 सालिम का प्रतिवादी नं0 1 मामचंद को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सन 2005 में जो अमल प्रतिवादी नं0 1 के नाम का हिस्से से अधिक आया है उसे कलमजन किया जाकर दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। तदनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे बाद दुरूस्ती अमल दरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(मुकुट सिंह चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

उप जिला कलक्टर
किशनगढ़बास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वारा— श्री मुकुट सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
130	26.10.2015	24.02.2021

उनवान

1. मनोहरलाल
2. रामअवतार
3. निरंजन
4. सुभाष पुत्रान श्री रामचन्दर जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती)
5. मु0 अंगूरी बैवा बाबूलाल
6. नरेश कुमार
7. सतीशकुमार पुत्रान श्री बाबूलाल जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती)
8. रामकला बैवा लालचन्द जाति जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती) निवासी इसैपुर (मीरका बसई) तहसील किशनगढ—बास जिला अलवर राज0

:—वादीगण

बनाम

1. मामचन्द पुत्र श्री बिहारीलाल जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती) निवासी मीरका बसई तहसील किशनगढबास, अलवर
2. सरोज देवी पुत्री बाबूलाल पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती) निवासी हाल रामनगर, भिन्डूसी तहसील तिजारा।
3. सुनीता पुत्री बाबूलाल पत्नि श्री रामकिशन जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती)
4. किरण पुत्री बाबूलाल पत्नि श्री सत्यबीर जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती) निवासी हाल राठीवास तहसील व जिला गुडगांवा हरियाणा।
5. नवनीत कुमार पुत्र छीतरमल जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती) निवासी इसैपुर।
6. लक्ष्मीदेवी पुत्री छीतरमल पत्नि सोमदत्त जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती) निवासी हाल गुडगांवा हरियाणा।
7. सरोज उर्फ बबली पुत्री छीतरमल पत्नि श्री श्यामलाल जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती) निवासी माजरीकलां तहसील मुण्डावर।
8. गीतादेवी पुत्री छीतरमल पत्नि श्री नन्दकिशोर जाति जांगडा ब्राहम्ण (खाती) निवासी।
9. श्रीमान तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील किशनगढ—बास जिला अलवर, राज0।

:—प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:—

1. श्री सूरजभान भडाणा वकील वादीगण की ओर से।
2. श्री रामफल यादव वकील प्रतिवादीगण की ओर से।

पर्चा डिक्री

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ—बास (अलवर)

वाद वादी गण बहक वादीगण व प्रतिवादीगण 2 लगायत 8 विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि आराजी ख0 नं0 21/0.11, 22/0.11 का

वादीगण मनोहर लाल, रामअवतार, निरंजन, सुभाष पुत्रान रामचन्दर काबिज को तन्हा काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

आराजी खसरा नम्बर 25/0.33, 27/0.16 का वादीगण अंगूरी, नरेशकुमार, सतीश कुमार वो प्रातिवादीगण 2, 3,4 सरोज सुनिता, किरण पुत्रियान बाबूलाल काबिज काश्त है को तन्हा काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

आराजी खसरा नम्बर 23/0.11 वादीया रामकला बैवा लालचंद को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

आराजी खसरा नम्बर 64/0.35 शालिम पर छीतरमल के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 नवनीत कुमार, लक्ष्मी, सरोज, गीतादेवी पत्रियान छीतरमल तन्हा काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा खसरा नम्बर 26/0.18 सालिम का प्रतिवादी नं0 1 मामचंद को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सन 2005 में जो अमल प्रतिवादी नं0 1 के नाम का हिस्से से अधिक आया है उसे कलमजन किया जाकर दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। तदनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे बाद दुरूस्ती अमल दरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(मुकुट सिंह चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)